

20/1/23

पत्रावली जैशपुरी वाडिया व
उनके अधिवक्ता उपस्थित। वाडिया
का अनुरोध प्रविणी लेया। अशोक
खिले या जिला केदार एवं पुत्र
ही। जिला लब्ध के एक प्रतीक
पत्र प्रारंभ कर विवेक वि
हि इमर वाड के सब काग
नही चलाने चाहै ही वाड को

नोट प्रिन्सिपल
उमिला
परचागदमा



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ</p>
	<p>बिडू करने की अनुमति चाहिए वही सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक देखलोजन किया गया। वारी की पहचान अखिलेश प्रसिद्ध घरा की गई। वापिस का पत्रावली फिर लीकर दिया जा रहा है। रुका काउ में बिडू के कि की अनुमति प्रदान की जागी है। किस काउ वापिस इसी तरह पर बिडू कर शकतीज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर के मम होकर सबको दफ्तर देना है।</p>	

(सनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बृहाना
जिला मन्सूर (राज.)